


दूरभाष : 0135-2747051-58
Telephone : 0135-2747051-58
फैक्स / Fax : 0135-2741250

ई-मेल/E-mail

For Adm - dmadc soi@nic.in
For Estate - estate.madc soi@gov.in



निदेशक
मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र
DIRECTOR,
MAP ARCHIVE & DISSEMINATION CENTRE
डाक बक्स सं०, POST BOX No.37,
हाथीबड़कला, देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत
DEHRADUN-248001(Uttarakhand)-INDIA

इस पत्र का उत्तर निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र को जहाँ से भेजना चाहिए, किसी अधिकारी के नाम से नहीं उत्तर देने समझा इस पत्र को उत्तरा और दिनांक भी हमेशा दी जानी चाहिए
Any reply to this letter should be addressed to the Director, Map Archive & Dissemination Centre, and not to any officer by Name. The No. & Date of the letter should be given

सं० संपदा - 79 /11-ए-41 (रिकवरी)
सेवा में,

दिनांक : 08-01-2021

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून |
2. अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून |
3. निदेशक, ज्योडिय एवं अनुसंधान शाखा, देहरादून |
4. निदेशक, अंकीय मानचित्रण केंद्र |
5. निदेशक, उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ०प्र०भू०स्था०आं० केंद्र, देहरादून |
6. निदेशक, मानचित्र प्रकाशन निदेशालय |
7. निदेशक, राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केंद्र, देहरादून |
8. निदेशक, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम भू-स्थानिक आंकड़ा केंद्र |
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, केंद्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून |
10. प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय नं० 2, सर्वे ऑफ़ इण्डिया, हाथीबड़कला, देहरादून |
11. इंचार्ज, वेबसाइट, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SGO) को इस आग्रह के साथ, कि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें |

विषय : सरकारी आवासों की लाइसेंस फीस में संशोधन |

उपरोक्त विषयांकित मामले में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं० [No.18011/2/2015-Pol-III, dated 29th June, 2020] (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सरकार के केंद्रीय आवासीय पूल एवं विभागीय आवासीय पूल में समस्त टाइप के सरकारी आवासों की लाइसेंस फीस में संशोधन किया जा चुका है। अतः निवेदन है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त सूचना का परिचालन करने एवं लेखा अनुभागों को निर्देशित करने की कृपा करें कि वे सरकारी आवास धारक अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन से माह जुलाई 2020 से माह फरवरी 2020 तक (नयी लाइसेंस फीस एवं पुरानी लाइसेंस फीस का अंतर) की राशि की एकमुश्त वसूली कर रिकवरी शिड्यूल इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें तथा फरवरी 2020 से लाइसेंस फीस की नयी दर जैसा कि संलग्न पत्र में दर्शित है, की वसूली कार्मिकों के वेतन से प्रारंभ करने की कृपा करें।

(राकेश सिंह)

कर्नल
निदेशक,

मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र

- प्रतिलिपि : (1) स्थापना एवं लेखाधिकारी, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (2) कार्यपालक अभियंता, (सिविल) केंद्रीय मण्डल-I&II सी०पी०डबल्यु० 20, सुभाष रोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) कार्यपालक अभियंता, (विद्युत) लोक निर्माण विभाग 20, सुभाष रोड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (4) निदेशक (विज्ञान) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय, न्यू कैंट रोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (5) अधीक्षण पुरातत्विद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, देहरादून मण्डल धरोहर 4 रेस्ट कैंप त्यागी रोड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (6) उप अधीक्षण उद्यानविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उद्यान मण्डल-प्रथम पूर्वीद्वार आगरा-282001 ।
- (7) मुख्य जल सर्वेक्षक, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण विभाग पोस्ट बॉक्स नं० 75 107, राजपुर रोड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (8) अपर निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, 1-राजपुर रोड, सर्वे चौक, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (9) मुख्य आयकर आयुक्त आयकर कार्यालय, सुभाष रोड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (10) प्रधान आयकर आयुक्त आयकर विभाग, सुभाष रोड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (11) अपर आयकर आयुक्त आयकर कार्यालय, रेंज नं० 2, सुभाष रोड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (12) अपर आयकर आयुक्त (टी०डी०एस०) आयकर कार्यालय, 13-ए-सुभाष रोड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (13) संयुक्त आयकर आयुक्त आयकर कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, सुभाष रोड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (14) केंद्रीय जल आयोग, हिमालयी गंगा, 7-बी-सेवक आश्रम रोड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (15) पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय, 8 चंदर रोड, डालनवाला अभिसूचना मुख्यालय, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (16) पुलिस अधीक्षक (अभिसूचना) अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय, 14 कारगी ग्रंट, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (17) केंद्रीय पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, केंद्रीय सदन, सैक्टर-9A, चंडीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (18) उपनिदेशक, एस०आई०बी० इंजिनियर एन्क्लेव जी०एम०एस० रोड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (19) निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय एल०डी०टावर, 3 सहारनपुर रोड, नियर माता वाला बाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (20) पासपोर्ट ऑफिस बेसमेंट ऑफ़ होटल अरोमा, 12 न्यू रोड, नियर एम०के०पी० कॉलेज, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (21) प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नं० 1, हाथीवड्कला सालावाला, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (22) निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तराखण्ड राज्य इकाई को देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (23) वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग), सी-15 सेक्टर-1, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (24) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ़ इण्डिया, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत, प्लॉट नं० आई०टी०-01, एकीकृत औद्योगिक संस्थान आई०टी० पार्क, सहस्रधारा मार्ग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (25) कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक एस०टी०एफ० उत्तराखण्ड, गांधी रोड निकट साईबर क्राइम पुलिस स्टेशन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- ✓(26) संख्या 13-के-ए / रूल्स ।

No. 18011/2/2015-Pol.III
Government of India
Ministry of Housing and Urban Affairs
Directorate of Estates

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 29th, June, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of flat rate of licence fee for General Pool Residential Accommodation (GPRA) throughout the country.

In terms of the provisions of the Rule 74 of the "Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017", the Government has decided to revise the flat rates of licence fee recoverable for the residential accommodation available in General Pool and also in Departmental Pools of Ministries/Departments of the Government of India throughout the Country (except in respect of substandard/unclassified accommodation of Ministry of Defence, accommodation for service personnel of the Ministry of Defence and accommodation under the control of Ministry of Railways), as shown in the Annexure.

2. The revised rates of licence fee would be effective from 1st July, 2020. All Ministries/Departments are requested to take action to recover the revised licence fee in accordance with these orders in respect of accommodation under their control all over the country.
3. This issues with the concurrence of Integrated Finance Wing of the Ministry of Housing and Urban Affairs vide their note dated 15-6-2020.

M.C. Sonowal
(M.C. Sonowal)
Deputy Director of Estates (Policy)
Tel. 23062505

To

1. All Ministries/Department of Govt. of India. It is requested that this O.M. may be circulated to all the attached/subordinate offices under their Ministries/Departments which are eligible for GPRA/Departmental Pool.
2. Comptroller & Auditor General of India
3. Chief Secretaries/Administrators/ L.G. of Union Territories.
4. Secretary General, Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt..

Copy to:

1. PS to MoS(I/C) (HUA).
2. Sr.PPS to Secretary (HUA)/PSs to JS&FA/JS (L&E)/JS (ID)/Director of Estates I & II.

mes

3. The Director General, CPWD, New Delhi – It is requested that this OM may be circulated to all the allottees of GPRA through their respective Service Centres.
4. CMD, NBCC Limited, NBCC Bhawan Lodhi Road, New Delhi-110003 – it is requested that this OM may be circulated to all the allottees of GPRA through their respective Service Centres.
5. Chief Engineers of ND Zones/ Ex. Eng (LF), CPWD, New Delhi
6. Sr. Technical Director (NIC), MoHUA, Nirman Bhawan - with a request to upload the OM on Directorate of Estates' website.
7. All Attached/ subordinate offices under Ministry of Housing and Urban Affairs.
8. Coordination Section/ Works Division of Ministry of Housing and Urban Affairs.
9. Finance Division, Ministry of Housing and Urban Affairs.
10. All Dy. Directors/ Asstt. Directors/ Sections/ Suptds. (Accounts) and Accountants of Directorate of Estates.
11. Estate Managers/ Asstt. Estate Managers of all Regional Offices under the Directorate of Estates including CPWD.
12. AD (Hindi Section), Directorate of Estates, Nirman Bhawan, New Delhi - with a request to provide an Hindi version of the OM.

Melanoval
29.6.2020

Annexure

(To OM No. 18011/2/2015-Pol.III dated 29th June, 2020)

Revised flat rates of licence fee applicable for General Pool Residential Accommodation (GPRA) throughout the country w.e.f. 01-07-2020

Types of accommodation	Range of living area in sq. mtr.	Level in the pay matrix in 7th CPC	Existing rates of flat rate of LF as per 2017 revision	Revised rates of licence fee effective from 01.07.2020, rounded to nearest 10 (Rs.)
1	2	3	4	5
I	Upto 30	1	150	180
II	26.5 to 50	2,3,4,5	310	370
III	44 to 65	6,7,8	470	560
IV	59 to 91.5	9,10,11	630	750
IV (Special)	59 to 91.5	11	670	790
VA	Upto 106	12	1180	1400
VB	Beyond 106	13, 13A	1260	1490
VIA	Upto 159.5	14	1550	1840
VIB	Beyond 159.5	15 (Index numbers 1 to 4 in the level)	1860	2200
VII	189.5 to 224.5	15 (index Nos. 5 to 8 in the level), 16	2180	2580
VIII	243 to 522	17,18	3890	4610

Note: In addition to the flat rates shown in table above, the following flat rates for Servant quarters allotted independently of regular accommodation may be recovered.

*revised
29.6.2020*

For Servant Quarters & Garages

Sl. No.	Particulars	Existing Rates (p.m.)	Revised Rates (p.m.) effective from 01.07.2020 rounded of to nearest 10 (Rs.)
1	Servant Quarters	Rs. 70/-	80
2	Garages	Rs.40/-	50

For categories of Suite, living area and proposed flat rates of licence fee for Hostel Accommodation:

Sl. No.	Category of Suite	Living Area (Sq. mtr.)	Existing rates	Level in the pay matrix in 7 th CPC	Revised Rates (p.m.) effective from 01.07.2020 rounded of to nearest 10 (Rs.)
1	Single Room (without Kitchen)	21.5 to 30	400/-	6 & 7	470
	Single Room (with Kitchen)	30.5 to 39.5	560/-	8	660
2	Double Room	47.5 to 60	770/-	9 & above	910

Hebbar
29.6.2020